राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/2010–11 जयपुर, दिनांकः 23-3-11.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के संबंध में।**
प्रसंगः **कार्यालय पत्रांक एफ 2(5)ग्रावि/अनु–8/99 दिनांक 30.10.2009**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही रखा जावें ताकि सड़कों के गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाये जा सकें। इस संबंध में उक्त निर्देश के अधिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 8 वीं वरीयता के उन्हीं कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराया जावें जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य योजना के तहत किये जाने हैं।
2. अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 8 वीं वरीयता के वें कार्य जो पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, के कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराये जा सकेगें।

ग्राम पंचायत द्वारा सड़क निर्माण के कार्य में निम्न सावधानियां बरती जावे :–

i सड़को के निर्माण बाबत तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या 16 से 18 में दिशा–निर्देश दिये गये है, जिनके अनुरूप कार्य संपादित किया जावे।

ii रेगिस्तानी अथवा अन्य क्षेत्रों में ग्रेवल सड़को की Compacted Thickness 15 सेन्टीमीटर से ज्यादा की आवश्यकता हो तो ग्रेवल एक साथ न बिछाकर यह कार्य दो लेयर्स में बराबर मोटाई में करवाया जावे। एक लेयर की बिछाई व कुटाई होने के बाद ही दूसरे लेयर की बिछाई कर कुटाई का कार्य सम्पन्न करवाया जावे।

भवदीय,

23/3/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. . प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/जोधपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

23/3/11.

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस